संशोधित

संख्या- 120 /2021 / 1160 /चार-2021-66(बजट)/2007

प्रेषक ,

विनय श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृन्दावन शोध संस्थान , मथुरा को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रसंख्या-116/ 2021/1092/चार-2021-66(बजट)/2007 दिनांक 28 जून, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । इस पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृन्दावन शोध संस्थान , मथुरा को प्रथम किश्त हेतु रू0 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है ।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर -9 के लेखाशीर्ष में टंकण त्रुटि हो गई है । अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर -9 में आंशिक संशोधन करते हुए लेखाशीर्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92-के अधीन लेखाशीर्ष -2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-12 –वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन, मथुरा को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) पढा जाए।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 120 /2021/ 1160 (1)/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान , मथुरा ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in